कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
"वर्कचार्ज वर्ग"
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून।
OFFICE OF THE ENGINEER-IN-CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-cepwdua@gmail.com

पत्रांकः– 916 /05(।।।) का0प्र0–अधि0/20 दिनांकः– 23 .12.2020

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग,
देहरादून/पौड़ी/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।

विषयः– **विनियमितीकरण न किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :– **इस कार्यालय का कार्यवृत्त संख्या–390/05(।।।)का0प्र0–अधि0/20, दिनांक 17.07.2020 एवं पत्र संख्या–541/05(।।।)का0प्र0–अधि0/20, दिनांक 21.08.2020**

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा अवगत कराया गया था कि वर्तमान में विनियमितीकरण नियमावली 2013 के क्रियान्वयन पर मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा स्थगन आदेश जारी किये गये हैं, तथा स्थगन आदेश हटने एवं शासन स्तर से विनियमितीकरण किये जाने हेतु आदेश प्राप्त होने के पश्चात ही विनियमितीकरण किये जाने हेतु दिशा–निर्देश जारी किये जाने सम्भव होंगे, तब तक किसी भी कर्मचारी के सम्बन्ध में विनियमितीकरण की कार्यवाही न की जाये।

उक्त सम्बन्ध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उपरोक्तानुसार मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल से स्थगन आदेश हटने तथा शासन स्तर से विनियमितीकरण किये जाने हेतु दिशा–निर्देश प्राप्त होने तक किसी भी कर्मचारी के सम्बन्ध में विनियमितीकरण की कार्यवाही न की जाय। यदि किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में विनियमितीकरण की कार्यवाही की जाती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी की होगी।

23/12

(हरिओम शर्मा)
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता
22.12.2020

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता, रा0मा0/ए0डी0बी0/पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0, देहरादून/ अल्मोडा।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ...वॉ वृत्त, लो0नि0वि0/रा0मा0/ए0डी0बी0/वि0यां0/पी0एम0जी0एस0 वाई0 ....।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रा0/नि0/अस्थाई/रा0मा0/वि0/यां0/पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0 वि0,.. को उपरोक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को उक्त पत्र की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के निर्देशों के साथ प्रेषित।

23/12

प्रमुख अभियन्ता
22.12.20